

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 4964/2026

Vinod Kumar S/o Sitaram, Aged About 25 Years, R/o Village
Ajitsar Tehsil Sardarshahar, District Churu. (Presently Lodged At
Dist. Jail Churu)

-----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

-----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Naresh Kumar Mr. Shree Kant Verma
For Respondent(s)	:	Mr. Urja Ram Kalbi, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA SHEKHAR SHARMA

Order

05/05/2026

प्रार्थी-अभियुक्त **विनोद कुमार** की ओर से यह जमानत प्रार्थना-पत्र धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन पुलिस थाना कोतवाली, जिला चूरु में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भारतीय दंड संहिता के मामले में प्रस्तुत किया है।

02. मैंने योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त व योग्य लोक अभियोजक की बहस सुनी एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

03. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने तर्क दिए कि प्रार्थी-अभियुक्त निर्दोष है और उसे इस प्रकरण में मिथ्या रूप से लिप्त किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त काफी समय से अभिरक्षा में है। प्रकरण में सहअभियुक्तगण राजेश, सतीश, अनील, पवन संदीप व सोमबीर का जमानत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा पूर्व में दिनांक 07.10.2025 को स्वीकार किया जा चुका है। प्रार्थी-अभियुक्त का मामला सहअभियुक्तगण से भिन्न नहीं है। प्रकरण के निष्कर्ष में समय लगने की संभावना है। अतः ऐसी परिस्थितियों में प्रार्थी-अभियुक्त को जमानत का लाभ दिए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थी-अभियुक्त का जमानत प्रार्थना-पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया। प्रस्तुत तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों आदि को देखते हुए, इस प्रक्रम पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई विवेचन किए बिना प्रार्थी-अभियुक्त विनोद कुमार को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

06. परिणामतः प्रार्थी-अभियुक्त **विनोद कुमार पुत्र सीताराम** की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार किया जाकर यह आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी-अभियुक्त पुलिस थाना कोतवाली, जिला चूरु में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2024 में विद्वान विचारण न्यायालय में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में पचास हजार रुपये का मुचलका एवं विचारण न्यायालय के संतोषप्रद पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे, तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA SHEKHAR SHARMA),J